अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29

फा.सं.7-1/2025-हिं.अ.

दिनांक: 08.09.2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की दिनांक 19.08.2025 को आयोजित हुई राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त पर अनुपालनात्मक कार्रवाई करने संबंधी।

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के दिनांक 29 अगस्त, 2025 के ई-मेल द्वारा प्रेषित दिनांक 28.08.2025 के कार्यालय ज्ञापन सं. ई.-11013/19/2021-हिंदी के द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव (प्रभारी राजभाषा) महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 19.08.2025 को आयोजित हुई स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त संस्थान के सभी विभागों/अनुभागों/केन्द्रों की सूचना/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है।

संस्थान के सभी विभागों और तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी अनुभागों/केन्द्रों से अनुरोध किया जाता है कि संस्थान में सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग में और अधिक वृद्धि करने तथा राजभाषा हिंदी के प्रभावी प्रचार-प्रसार हेतु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के उक्त कार्यवृत्त में दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं/निदेशों/सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

इसे आवश्यक अनुपालन हेतु जारी किया जाता है।

संलग्नक: यथोपरि।

दिव्या

(दिव्या यानामदाला)
वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं
राजभाषा अधिकारी

वितरण:- सभी विभाग/अनुभाग/केन्द्र।

प्रतिलिपि:

1. निदेशक/संकायाध्यक्ष(शैक्षिक)/चिकित्सा अधीक्षक महोदया के प्रधान निजी सचिव।
2. अपर निदेशक (प्रशासन) महोदय के निजी सचिव।
3. वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी/उप-सचिव महोदय के निजी सचिव।
4. मुख्य प्रशासन अधिकारी/वित्त सलाहकार/अधीक्षण अभियंता महोदय के निजी सचिव।
5. संयुक्त निदेशक (राजभाषा), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
6. प्रभारी-संकाय(कंप्यूटर सुविधा)-कृपया इसे संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति संबंधी मामला / अति महत्वपूर्ण

सं. ई – 11013/19/2021 – हिंदी
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
(राजभाषा प्रभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 28.08.2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 19.08.2025 को सांय 03.00 बजे आयोजित राजभाषा कार्यान्वय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

संयुक्त सचिव (प्रभारी राजभाषा) की अध्यक्षता में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति (OLIC) की बैठक दिनांक 19.08.2025 को अपराह्न 03:00 बजे आयोजित की गई। इस बैठक में सरकारी काम-काज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि करने के संबंध में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। उक्त बैठक में मंत्रालय के अधिकारियों के साथ-साथ अधीनस्थ कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। बैठक का कार्यवृत्त तथा बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक में दी गई है।

2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सभी अवर सचिवों/समकक्ष अधिकारियों/अनुभागों/प्रभागों और साथ ही, सभी अधीनस्थ/ संबद्ध कार्यालयों के प्रमुखों से अनुरोध है कि वे इस कार्यवृत्त पर अपेक्षित कार्रवाई करें और यदि इस संबंध में कोई टिप्पणी हो, तो इस प्रभाग को प्रेषित करें।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(विनोद कुमार)
संयुक्त निदेशक (राजभाषा) एवं सदस्य-सचिव, राजभाषा

सेवा में,

1) सभी अवर सचिव/समकक्ष अधिकारी/अनुभाग/प्रभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग।

2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सभी अधीनस्थ/ संबद्ध कार्यालय।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1). संयुक्तसचिव (पीसी) के प्रधान निजी सचिव।

2). संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव।

सं.ई–11013/19/2021–हिंदी

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

*****

संयुक्त सचिव (पी सी पी) की अध्यक्षता में दिनांक 19.08.2025 को अपराह्न 3.00 बजे आयोजित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

सर्वप्रथम, संयुक्त निदेशक ने अध्यक्ष महोदय के साथ-साथ बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और अध्यक्ष महोदय से बैठक की कार्यवाही संचालित करने की अनुमति मांगी।

इसके पश्चात संयुक्त निदेशक एवं सदस्य सचिव ने सभी सदस्यों/प्रतिनिधियों से अपना-अपना परिचय देने का अनुरोध किया। परिचय प्राप्त हो जाने के बाद औपचारिक रूप से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई। बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक में दी गई है।

1. **दिनांक 10 जून, 2025 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि-** संयुक्त निदेशक ने समिति को बताया कि दिनांक 10 जून, 2025 को आयोजित पिछली बैठक का कार्यवृत्त सभी सदस्यों को परिचालित किया गया था। किसी भी सदस्य से कोई भी टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। अतः कार्यवृत्त की पुष्टि समझी जाए। समिति ने सर्वसम्मति से पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

2. **30 जून, 2025 को समाप्त अवधि की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा-** सहायक निदेशक ने समिति के समक्ष 30 जून 2025 को समाप्त अवधि की तिमाही प्रगति रिपोर्ट के बारे में विस्तृत आंकड़े प्रस्तुत किए।

I. दिनांक 30 जून, 2025 को समाप्त अवधि की तिमाही प्रगति रिपोर्ट में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के तहत सभी कागजात द्विभाषी रूप में जारी किए गए हैं। धारा 3(3) के अंतर्गत सभी दस्तावेज द्विभाषीय रूप में ही जारी किए जाते हैं और राजभाषा नियम 1976 के नियम 6 के अंतर्गत हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का यह दायित्व हैं कि वह यह सुनिश्चित करे कि ऐसे दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी हुए हैं कि नहीं।

II. राजभाषा नियम 1976, के नियम 5 के अंतर्गत हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए गए हैं।

III. मूल पत्राचार में 'क' क्षेत्र को 84 प्रतिशत 'ख' क्षेत्र को 80 प्रतिशत और ग क्षेत्र को 61 प्रतिशत पत्र हिंदी में भेजे गए।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मूल पत्राचार का आंकड़ा पिछली तिमाही से थोड़ा ज्यादा है लेकिन बहुत संतोषजनक एवं उत्साहवर्धक नहीं है। हमें राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य को मिलकर प्राप्त करने के लिए दृढ़संकल्प होकर प्रयास करना होगा। अध्यक्ष महोदय ने यह भी कहा कि समिति के सभी सदस्य यह सुनिश्चित करें कि तिमाही प्रगति रिपोर्ट हर तिमाही के समाप्त होने के 10 दिन के भीतर निर्धारित प्रपत्र में विधिवत रूप से भरकर राजभाषा प्रभाग को भेज दी जाए।

समिति ने सर्वसम्मति से अपना मत व्यक्त किया कि तिमाही प्रगति रिपोर्ट हर तिमाही के समाप्त होने के 10 दिन के भीतर निर्धारित प्रपत्र में विधिवत रूप से भरकर राजभाषा प्रभाग को भेज दी जाए।

(कार्रवाई: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सभी अनुभाग तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सभी अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालय)

3. राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2025-26 पर चर्चा –

सहायक निदेशक ने समिति के समक्ष वार्षिक कार्यक्रम 2025-26 के बारे में संक्षिप्त रूप से विवरण प्रस्तुत किया जो निम्नुसार है-

- राजभाषा अधिनियम,1963 यथासंशोधित 1967 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले सभी कागजात द्विभाषी रूप में जारी किए जाने अनिवार्य हैं।
- राजभाषा नियम, 1976 के नियम- 5 के अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने अनिवार्य हैं।
- 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने अनिवार्य हैं।
- फाइलों पर एवं ई-फाइल में की जाने वाली टिप्पणियों में से कम से कम 75 प्रतिशत टिप्पणी हिंदी में करना अनिवार्यतः अपेक्षित है।
- राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का नियमित आयोजन किया जाना अपेक्षित है।
- हिन्दी कार्यशालाओं का नियमित आयोजन किया जाना अपेक्षित है।

इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आगे से वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों की प्रतियां सभी सदस्यों को बैठक के दौरान उपलब्ध कराई जाएं। अध्यक्ष महोदय ने समिति के सभी सदस्यों से आग्रह किया कि राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति को गंभीरता से लिया जाना अपेक्षित है ताकि राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। समिति ने सर्वसम्मति से इसे स्वीकृति प्रदान की।

(कार्रवाईः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सभी अनुभाग तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सभी अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालय)

4 **विभाग के अनुभागों/अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण-** संयुक्त निदेशक ने समिति को बताया कि राजभाषा प्रभाग द्वारा दिल्ली स्थित सात कार्यालयों का निरीक्षण किया गया तथा दो कार्यालयों का निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है।

उन्होंने समिति को बताया कि लगभग सभी कार्यालयों में हिंदी के काम-काज की स्थिति संतोषजनक है।

इसी क्रम में मंत्रालय के सभी अनुभागों का निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही साथ सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान का रोस्टर भी तैयार किया जाएगा। रोस्टर का प्रपत्र तैयार कर लिया गया है।

इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि रोस्टर तैयार करते समय सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से करवाए जाने चाहिए।

इस पर समिति ने सर्वसम्मति से अपनी सहमति प्रदान की।

(कार्रवाईः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सभी अनुभाग तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सभी अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालय)

5. राजभाषा के रिक्त पदों का भरा जाना-

संयुक्त निदेशक ने समिति को बताया कि मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी और वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के कुल 4 पद रिक्त हैं जिन्हें भरने हेतु राजभाषा विभाग को लिखा जा चुका है। इस विषय पर राजभाषा विभाग की सचिव द्वारा आहूत बैठक में अध्यक्ष महोदय और संयुक्त निदेशक महोदय ने भाग लिया था और अपनी बात रखी थी।

संयुक्त सचिव ने क्षेत्रीय एवं अधीनस्थ कार्यालयों से रिक्त पदों की जानकारी ली। जिसमें सीजीएचएस कार्यालय के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके यहा 7 पद रिक्त हैं जिसमें एक पद वरिष्ठ हिंदी अनुवादक और 6 पद कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के हैं। इसके बाद राष्ट्रीय जैविक संस्थान के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके कार्यालय में 1 कनिष्ठ हिंदी अनुवादक का पद रिक्त है। डीजीएचएस कार्यालय के प्रतिनिधि ने बताया कि डीजीएचएस के अधीनस्थ कार्यालयों सफदरजंग, आरएमएलएच, लेडी-हॉर्डिंग, एनसीबीडीसी, एनसीडीसी, मुबंई एआईडीआमआर, सीएचओ कोलंबंब मुबंई, चेन्नई में कुल 20 पद रिक्त हैं।

संयुक्त निदेशक ने समिति को बताया कि इस संबंध में हिंदी के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु राजभाषा विभाग को पत्र लिखा गया है।

अध्यक्ष महोदय ने समिति को बताया कि माननीय संसदीय राजभाषा समिति हिंदी के रिक्त पदों को भरे जाने को लेकर अत्यंत गंभीर है अतः इस पर गंभीरता पूर्वक कार्रवाई की जानी अपेक्षित है।

(कार्रवाईः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राजभाषा प्रभाग तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सभी अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालय)

6. **संसदीय समिति के निरीक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई की स्थिति-** संयुक्त निदेशक ने समिति को बताया कि संसदीय समिति निरीक्षण के दौरान निम्न बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखती है।

- कितने लोगों को हिंदी में प्रशिक्षण दिया गया है।
- कितने पद हिंदी के हैं।
- कितने लोगों को हिंदी टंकण आता है।
- पत्राचार की स्थिति क्या है।
- नोटिंग की स्थिति क्या है।
- रोस्टर तैयार करना
- जांच बिंदु बनाना
- व्यक्तिः आदेश जारी करना
- अनुभागों को 100 प्रतिशत हिंदी में काम करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जाना

सहायक निदेशक ने समिति को बताया कि अखिल भारतीय वॉक एव श्रवण संस्थान मानस गंगोत्री मैसूर कर्नाटक, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना बेंगलूरू कर्नाटक, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालय बेंगलूरु, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालय शिलांग के निरीक्षण संसदीय समिति द्वारा 2025 में किए गए तथा संसदीय समिति को दिए गए आश्वासनों पर उनकी रिपोर्ट संसदीय समिति को अभी नहीं भेजी गई है। सभी की रिपोर्ट शीघ्र ही भेज दी जाएगी।
अध्यक्ष महोदय ने कहा कि संसदीय समिति का मामला बहुत गंभीर होता है अतः इस पर कार्यवाही भी गंभीरतापूर्वक की जानी अपेक्षित है।

(कार्रवाईः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सभी अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालय)

7. **गृह पत्रिका 'स्वास्थ्य सृजन' के दूसरे अंक का प्रकाशन-** संयुक्त निदेशक ने कहा कि पत्रिका के प्रकाशनार्थ अभी पर्याप्त लेख प्राप्त नहीं हुए हैं। यदि कोई भी अधिकारी/कर्मचारी साहित्यिक, वैज्ञानिक या अन्य किसी प्रकार की रचना या लेख देना चाहता है तो वह दे सकता है। इसके लिए एक कमेटी गठित है जो इन लेखों का मूल्यांकन करती है और जिन लेखों का चयन किया जाएगा उनके लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।

इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों से अपेक्षा है कि अपने-अपने लेख, कविता आदि एक माह के भीतर राजभाषा प्रभाग को भेजें ताकि पत्रिका का संपादन कार्य यथा समय पूर्ण किया जा सके।

(कार्रवाई: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सभी अनुभाग तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सभी अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालय)

8. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई मदें-

क. **आम बोलचाल की हिंदी का प्रयोग**: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकारी कामकाज में सामान्य हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर कुछ अंग्रेजी के शब्दों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ सदस्यों ने बताया कि हिंदी के कार्य को बढ़ाने के लिए उच्च अधिकारियों को भी हिंदी के महत्व के प्रति जागरूक होना चाहिए।

(कार्रवाई: सभी अनुभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

ख. **हिंदी में नोटिंग**: संयुक्त सचिव ने कहा कि नोटिंग हिंदी में करें। हिंदी नोटिंग के लिए मंत्रालय द्वारा चलाई गई दो लाख रूपए की योजना के तहत प्रथम पुरस्कार 5000/- रूपए द्वितीय पुरस्कार 4000/- रूपए और तृतीय पुरस्कार 3000/- रूपए दिया जाता है। ये पुरस्कार वर्ष में दो बार पहली तिमाही और तीसरी तिमाही में दिए जाते हैं।

(कार्रवाई: सभी अनुभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

ग. **कंप्यूटरों में यूनिकोड**- संयुक्त सचिव महोदय ने कहा कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी एनआईसी से यूनिकोड इंस्टाल करा लें। संयुक्त निदेशक ने कहा कि वह एक व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपे जो सभी अनुभागों में जाकर यह कार्य सुनिश्चित करें। इस पर सहायक निदेशक ने बताया कि इस पर कार्रवाई आरंभ हो गई है तथा यह कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा।

(कार्रवाई: सभी अनुभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

घ. **ई-ऑफिस/ई-मेल में डिजिटल हस्ताक्षर /नाम/पदनाम द्विभाषी करने के संबंध में** - संयुक्त सचिव ने कहा कि एक टीम बनाएं जिसमें एनआईसी और राजभाषा अनुभाग के सदस्य होंगे। यह टीम ऑन द स्पॉट आपके नाम आदि विवरण को द्विभाषी करेगी। संयुक्त निदेशक ने सुझाव दिया कि सभी अनुभाग यह कार्य एनआईसी से स्वयं भी करा सकते हैं। सहायक निदेशक ने समिति को बताया कि यह कार्य भी शीघ्र ही आरंभ कर दिया जाएगा।

(कार्रवाई: सभी अनुभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

ङ हिंदी सलाहकार समिति की बैठक-

संयुक्त सचिव ने बताया कि 22 अगस्त 2025 को होने वाली हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता माननीय मंत्री श्री जे.पी.नड्डा द्वारा की जाएगी जिसमें मंत्रालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा संबंधी कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तृत चर्चा होगी । संयुक्त सचिव ने कहा कि राजभाषा की उन्नति राष्ट्र निर्माण का कार्य है। इसलिए सभी से सहयोग की आशा की जाती है और अपेक्षा है कि अधिक से अधिक काम हिंदी भाषा में ही करें। संयुक्त निदेशक ने कहा कि हिंदी लिखने से नहीं डरें और हिंदी में ही कार्य करने की कोशिश करें।

धन्यवाद ज्ञापन –

इसी के साथ संयुक्त निदेशक ने सभी को धन्यावद कहते हुए बैठक के समापन की घोषणा की।

संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 19/08/2025 को सायं 03.00 बजे आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों की सूची

क्रम सं.	नाम व पदनाम	कार्यालय संस्थान अनुभाग प्रभाग का नाम
1.	श्री बिनोद कुमार, संयुक्त निदेशक (राजभाषा)	राजभाषा प्रभाग
2.	श्री सज्जन कुमार, उप निदेशक (राजभाषा)	राजभाषा प्रभाग
3.	डॉ. प्रकाश कुमार, सहायक निदेशक (राजभाषा)	राजभाषा प्रभाग
4.	महेन्द्र प्रसाद, सहायक निदेशक(राजभाषा)	राजभाषा
5.	राजेश कपूर, उप निदेशक(राजभाषा)	राजभाषा
6.	दिलीप कुमार द्विवेदी, सहायक अनुभाग अधिकारी	चिकित्सा सेवा अनुभाग
7.	आशीष सरीन, वरिष्ठ शासकीय अधिकारी	वी.बी.डी.अनुभाग
8.	निधि, अनुभाग अधिकारी	एच.पी.ई अनुभाग
9.	राजेन्द्र प्रसाद जोशी, सहायक अभियंता	
10.	कंचन माथुर	
11.	विवेक कुमार, व्यवस्थापक सहायक	भारतीय भेषजी परिषद
12.	सौरव द्विवेदी, अनुभाग अधिकारी	
13.	राजीव कुमार सिहं, उप निदेशक	डीजीएचएस
14.	अमित कुमार, अवर सचिव	ई-III और IV
15.	शांति नेगी, अवर सचिव	आईएफडी
16.	राजेश कुमार, अवर सचिव	आईएफडी
17.	सुभांशु कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी	पीएमएसएसवाई
18.	अनिकेत कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी	पीएमएसएसवाई-II
19.	एस.के. तंवर,अवर सचिव	एस.एस
20.	गणेश शंकर श्रीवास्तव, प्रभारी हिंदी कक्ष	एनआईएसएफडब्ल्यू
21.	भूमिका राजपूत, सहायक अनुभाग अधिकारी	ट्रेनिंग डिविजन
22.	अभय कुमार, अनुभाग अधिकारी	
23.	अजय कुमार	
24.	आशीष कुमार वर्मा, आशुलिपिक	पीएमएसएसवाई-IV
25.	जी.एल. बेनिवाल, अनुभाग अधिकारी	सीसीडी
26.	पंकज पंडेय, अनुभाग अधिकारी	स्थापना-II
27.	सुशील कुमार, वरिष्ठ सचिवालय सहायक	
28.	यतेन्द्र कुमार,सहायक अनुभाग अधिकारी	वी.बी.डी
29.	प्रेम प्रकाश,अवर सचिव	पीएमएसएसवाई-IV
30.	धर्मवीर कुमार सिंह, अवर सचिव	पीएमएसएसवाई-V
31.	अनन्त कुमार, अवर सचिव	एनयूएचएम
32.	प्रमोद कुमार, हिंदी अधिकारी	एम्स नई दिल्ली

33.	बी.एल. शॉ	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग
34.	गौरव कुमार, आशुलिपिक	हिंदी अनुभाग 1
35.	प्रताप मोरेंग, सहायक निदेशक	हिंदी अनुभाग 2
36.	डॉ. नरेश कुमार कुमावत, प्रभारी हिंदी अनुभाग	केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना
37.	उज्जवल कुमार झा, वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रसाशनिक सहायक	केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना
38.	रजनी बाला, अवर सचिव	मेडिकल एजुकेशन
39.	रंजन डोले, अवर सचिव	एमईपी
40.	शशीकांत तिवारी, सहायक निदेशक	डीजीएचएस
41.	गुरमुख सिंह, अनुभाग अधिकारी	आरसीएच
42.	मुकेश शॉ, अनुभाग अधिकारी	मेडिकल सर्विसेज
43.	नूतन तोपनो, अवर सचिव	एसएनए और सीएच
44.	आशुतोष कुमार अग्रवाल, अवर सचिव	एनएचएम-III
45.	हमेश कुमार, वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी	केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना
46.	सरिता वर्मा, डीईओ	हिंदी अनुभाग 3
47.	रेखा, एमटीएस	हिंदी अनुभाग3
48.	जतिन शर्मा, सहायक अनुभाग अधिकारी	एएचएस अनुभाग
49.	साक्षी धवन, अनुभाग अधिकारी	एएचएस
50.	अंकुर यादव, वैयक्तिक सहायक	राजभाषा प्रभाग
51.	मनीशा मित्तल, अनुभाग अधिकारी	सामान्य 2
52.	हर्ष, अनुभाग अधिकारी	सामान्य 1
53.	खाम खान सुआन, अवर सचिव	सामान्य प्रभाग
54.	राकेश कुमार, अनुभाग अधिकारी	आरटीआई
55.	सूर्य प्रकाश, अवर सचिव	तंबाकू और डीडीएपी
56.	शशि रंजन अलबेला, अवर सचिव	पीएमएसएसवाई 2
57.	रतेश कुमार शर्मा, वैज्ञानिक-II एवं प्रभारी राजभाषा अधिकारी	राष्ट्रीय जैविक संस्थान नोएडा
58.	मोन्टी कुमार, अनुभाग अधिकारी	स्थापना 3
59.	परमिंदर शर्मा, अनुभाग अधिकारी	आर.सी.एच.अनुभाग
60.	मोहम्मद अजीम, आशुलिपिक	राजभाषा प्रभाग
61.	प्रकाश चन्द्र	राजभाषा प्रभाग